फतेहगढ़ पुलिस

प्रेस नोट- थाना कम्पिल

दिनांक :- 13.09.2025

एसओजी/सर्विलांस व थाना कम्पिल पुलिस द्वारा अंतर्जनपदीय गैंगस्टर 25 हजार के इनामिया वाँछित अभियुक्त को पुलिस मुठभेड़ में किया गया गिरफ्तार।

श्रीमान अपर पुलिस महानिदेशक कानपुर जोन कानपुर श्री आलोक सिंह के निर्देशन, श्रीमान पुलिस उपमहानिरीक्षक कानपुर रेंज कानपुर श्री हरिश चन्दर के कुशल पर्यवेक्षण, पुलिस अधीक्षक फतेहगढ़ श्रीमती आरती सिंह के मार्गदर्शन, अपर पुलिस अधीक्षक डा0 संजय कुमार व क्षेत्राधिकारी कायमगंज श्री राजेश द्विवेदी के नेतृत्व में अपराध एंव अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में एसओजी/सर्विलांस व थाना कम्पिल पुलिस द्वारा थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु0अ0सं0 49/2025 धारा 3(1) गैंगस्टर एक्ट से सम्बन्धित वांछित व 25000 रूपये के इनामिया अभियुक्त तोताराम उर्फ तोता पुत्र दुर्विजय निवासी ग्राम सिरसा थाना कम्पिल जनपद फतेहगढ़ को पुलिस मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार किया गया। पुलिस मुठभेड़ के सम्बन्ध में थाना कम्पिल पर मु0अ0सं0 149/2025 धारा 109(1) बीएनएस (पुलिस मुठभेड) व 3/25/27 आर्म्स एक्ट पंजीकृत कर अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता:-

1. तोताराम उर्फ तोता पुत्र दुर्विजय निवासी ग्राम सिरसा थाना कम्पिल जनपद फतेहगढ़।

घटना का विवरण:- दिनांक 13.09.2025 को एस0ओ0जी0/सर्विलांस टीम व थाना कम्पिल पुलिस रात्रि गस्त देखभाल क्षेत्र शान्ति व्यवस्था ड्यूटी रोकथाम जुर्म जरायम, चैकिंग संदिग्ध व्यक्ति वाहन, बैंक चेकिंग, रात्रि गस्त एवं घुमन्तु जाति एंव कच्छा धारी बनियान गैंग को दृष्टिगत रखते हुए कम्पिल सिवारा रोड हजरतगंज तिराहे पर चेकिंग कर रहे थे । चेकिंग के दौरान एक व्यक्ति नगला भूड़ तिराहे के पास पुलिस को देखकर भागने लगा । नजदीक आने पर पुलिस पार्टी द्वारा तेज आवाज मे स्वयं को पुलिस बताते हुये उसे रुकने का इशारा किया गया परन्तु उक्त व्यक्ति द्वारा तमंचा निकालकर पुलिस पार्टी पर जान से मारने की नीयत से फायर किया । आत्मरक्षार्थ पुलिस पार्टी द्वारा की गयी जवाबी फायरिंग में उक्त बदमाश घायल हो गया व उसके दाहिने पैर में गोली लगी । घायल बदमाश का नाम पता पूछा तो उसने अपना नाम तोताराम उर्फ तोता पुत्र दुर्विजय निवासी सिरसा थाना कम्पिल जनपद फतेहगढ़ बताया। जिसको उपचार हेतु सीएचसी कायमगंज भेजा गया।अभियुक्त उपरोक्त सीएचसी कायमगंज से डॉ0 राम मनोहर लोहिया जिला अस्पताल के लिए रेफर होकर उपचाराधीन व खतरे से बाहर है। अभियुक्त उपरोक्त ने बताया कि उसके विरुद्ध थाना कम्पिल में मु0अ0सं0-49/25 धारा-3(1) गैंगस्टर पंजीकृत है। जिसमें वह वाँछित चल रहा है व उस पर 25000 का ईनाम भी घोषित है। अभियुक्त तोताराम उर्फ तोता उपरोक्त के पास से 01 अवैध देशी तमंचा 315 बोर, 01 जिन्दा कारतूस 315 बोर, 01 खोखा कारतूस 315 बोर, 01 खोखा कारतूस 315 बोर तमंचे की नाल में फंसा हुआ बरामद हुआ। पुलिस मुठभेड के सम्बन्ध में थाना कम्पिल पर मु0अ0सं0-149/2025 धारा-109(1) बीएनएस (पुलिस मुठभेड) व बरामदगी के आधार पर 3/25/27 आर्म्स एक्ट बनाम तोताराम उपरोक्त पंजीकृत किया गया है। अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण:- अभियुक्त तोताराम उपरोक्त ने पूछने पर बताया कि मेरे विरुद्ध थाना कम्पिल पर गैंगेस्टर का मुकदमा पंजीकृत है। जिसमें मैं फरार चल रहा था, आज मैं अपने बच्चों से मिलकर गंगापार जा रहा था । कि आप लोगों को देखकर गैंगस्टर के मुकदमें की गिरफ्तारी से बचने के लिए भागा था तथा आप लोगो के ऊपर मैनें अपने तमंचे से फायर कर दिया। साहब गलती हो गई है। मुझे माफ कर दीजिए।

बरामदगी का विवरण:-

1. 01 अवैध देशी तमंचा 315 बोर
2. 01 जिंदा कारतूस 315 बोर
3. 01 खोखा कारतूस 315 बोर
4. 01 खोखा कारतूस 315 बोर तमंचे की नाल में फंसा हुआ।

अभियुक्त तोताराम उर्फ तोता पुत्र दुर्विजय उपरोक्त का आपराधिक इतिहास –

1. मु0अ0सं0 305/06 धारा 323/324/504/507 भा0द0वि0 थाना कम्पिल
2. मु0अ0सं0 165/12 धारा 307/504/506 भा0द0वि0 थाना कम्पिल
3. मु0अ0सं0 28/15 धारा 147/148/149/307/379/411 भा0द0वि0 व 7 सीएलए एक्ट थाना कम्पिल
4. मु0अ0सं0 155/15 धारा 3(1) गैंगस्टर एक्ट थाना कम्पिल
5. मु0अ0सं0 62/16 धारा 307 भा0द0वि0 थाना कम्पिल
6. मु0अ0सं0 284/16 धारा 147/148/149/307/332/353/323/504/506 भा0द0वि0 व सीएलए एक्ट थाना कम्पिल
7. मु0अ0सं0 285/16 धारा 147/148/149/307/332/504/506 भा0द0वि0 थाना कम्पिल
8. मु0अ0सं0 286/16 धारा 25/27 आर्म्स एक्ट थाना कम्पिल
9. मु0अ0सं0 130/17 धारा 307/504/506 भा0द0वि0 थाना कम्पिल
10. मु0अ0सं0 133/17 धारा 2/3 गुण्डा अधि0 थाना कम्पिल
11. मु0अ0सं0 124/19 धारा 147/435/504/506 भा0द0वि0 थाना कम्पिल
12. मु0अ0सं0 82/20 धारा 110जी द.प्र.सं. थाना कम्पिल दि0 04.09.20 थाना कम्पिल
13. मु0अ0सं0 65/21 धारा 110जी द.प्र.सं. थाना कम्पिल दि0 08.04.22 थाना कम्पिल
14. मु0अ0सं0 186/21 धारा 147/148/149/307/332/353 भा0द0वि0 व 7 सीएलए थाना कम्पिल
15. मु0अ0सं0 76/22 धारा 2/3 गुण्डा अधिनियम थाना कम्पिल
16. मु0अ0सं0 234/23 धारा 3/5/25 आर्म्स एक्ट थाना कम्पिल
17. निवारक कार्यवाही 03/2024 धारा 110जी सीआरपीसी थाना कम्पिल
18. मु0अ0सं0 20/2024 धारा 147/452/323/504/506 भा0द0वि0 थाना कम्पिल
19. मु0अ0सं0 59/2024 धारा 3/5/7/25 आर्म्स एक्ट थाना पटियाली जनपद कासगंज
20. मु0अ0स0 49/25 धारा 3(1) गैगस्टर एक्ट थाना कम्पिल
21. मु0अ0स0 149/25 धारा 109 बीएनएस व 3/25/27 आर्म्स एक्ट थाना कम्पिल

गिरफ्तार करने वाली थाना कम्पिल पुलिस टीम:-

1. थानाध्यक्ष उ0नि0 श्री कपिल कुमार
2. उ0नि0 प्रमोद कुमार
3. का0 गुलशन ध्रुव
4. का0 प्रिंस
5. का0 विपिन भाटी
6. का0 सुमित
7. का0 संजय कुमार

एसओजी पुलिस टीम

1. प्रभारी एसओजी टीम उ0नि0 श्री सचिन चौधरी
2. हे0का0 बलवीर सिंह
3. का0 धर्मेन्द्र सिंह
4. का0 विकास चन्द्र
5. का0 विनोद
6. का0 सौरभ धीमान

सर्विलांस टीम जनपद फतेहगढ़

1. प्रभारी सर्विलांस टीम उ0नि0 श्री सन्त कुमार
2. हे0का0 सन्दीप कुमार
3. हे0का0 अनुराग शर्मा
4. हे0का0 सचेन्द्र चौहान

मीडिया सेल फतेहगढ़।